सार-समाचार

चांदी का सिंहासन लगाया

कपासन, (निसं)। मेवाड़ के प्रसिद्ध शनिधाम श्री शनि महाराज आली में शनिवार से चांदी के सिंहासन पर शनिदेव के दर्शन होंगे। श्री शनिदेव के 5 किलो 300 ग्राम चांदी से बना सिंहासन लगाया गया।प्रबंध कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कि कमेटी की ओर से श्री शनिदेव के लिए 5 किलो 300 ठाम चांदी से निर्मित सिहासन बनवा कर लगाया गया है। इसके निर्माण में पहले सागवान की लकड़ी की फ्रेम नक्काशी सहित तैयार की गई। इसके बाद इस पर 5 किलो 300 ठाम चांदी से इसका पूरा निर्माण किया गया। जिसमें उदयपुर के कारीगर राजेश सुथार ने सागवान से फ्रेम तैयार की।इसके बाद उदयपुर के कारीगर महेश और कमल चौहान ने इस पर चांदी का काम कर इसे तैयार किया। शुक्रवार शाम में इस सिंहासन की मंदिर में फिटिंग का कार्य किया गया। अब श्री शनिदेव के दर्शन इस चांदी से बने सिंहासन के साथ होंगे।से निर्मित सिहासन बनवा कर लगाया है

सर्व समाज की बैठक स्थगित

मंडफिया, (निसं)। अनगढ़ बावजी तीर्थ स्थल पर अवधेशानंद जी महाराज के चातुर्मास को लेकर मंगलवार को आयोजित होने वाली सर्व समाज की बैठक स्थगित कर आगामी बैठक शनिवार को आयोजित होगी। समिति के अध्यक्ष रतन लाल गाडरी ने बताया कि चातुर्मास की व्यवस्थाओं को लेकर सर्व समाज की बैठक 21 मार्च को आयोजित होने वाली थी लेकिन अमावस्या एवं नवरात्रि स्थापना के चलते यह बैठक स्थगित कर अब 25 मार्च शनिवार को आयोजित होगी।

वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया

राजसमंद, (निसं)। सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मनीष कुमार वैष्णव ने मोही गांव में वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में 12 वृद्धजन दर्ज पाये गये। जिनमें से 10 वृद्धजन उपस्थितपाए गए वहीं 2 वृद्धजनों का बाहर जाना बताया गया।

जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद

डूंगरपुर, (निसं)। सदर थाना अंतर्गत छेला खेरवाडा फला अम्बेरा निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई की विगत 14 मार्च की रात्रि को उसकी नाबालिक बहन को तीन लेगों ने जबरन अपहरण कर उठा ले जाने के दौरान उसके साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कराया था जिसका निस्तारण करते हुए सदर पुलिस ने मामले में चार आरोपियों व एक बाल अपचारी को डिटेन किया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार छेला खेरवाडा अम्बेरा फला निवासी कालूराम पुत्र अमरा अहारी ने एक रिपोर्ट 15 मार्च को थाने में उपस्थित होकर दी जिसमें उसने बताया कि 14 मार्च को डूंगरपुर शहर में वह काम से आया था और घर पर उसकी पत्नी व बहन अकेली थी जिन्हें अकेला देखकर हरीश पुत्र कांतिलाल घोघरा निवासी मजोला व उसके अन्य तीन साथी आये व उस्की नाबालिक बहन को जबरन उठाकर ले गए। जिस पर उसने उनका पीछा किया उस दौरान उसके साथ काका देवीलाल भी थे आरोपियों ने काका के पीठ पर छुरी गोप दी और मारपीट कर बहन को लेकर भाग गए। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर टीम गठित कर हरीश पुत्र कांतिलाल घोघरा तथा उसके साथी प्रवीण पुत्र कारीलाल बरंडा, पिंटू पुत्र हालिया मीणा व महेंद्र पुत्र कचरा बलात सभी निवासी मझोला को गिरफ्तार कर एक नाबालिक को भी डिटेन किया है।

पुलिस जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

लांबा भाटडा में बिजली गिरने से किसान की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाडा थाना क्षेत्र के लांबा भाटडा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। किसान खेतों में काम कर रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शनिवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है

लांबा भाटडा निवासी थावरचंद मेणात ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में उसने बताया कि शक्रवार शाम के समय उसका भाई प्रकाशचंद्र मेणात खेतों में गेहूं की फसल को इकट्ठा कर रहा था। उसी समय तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ ही अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से उसका सीना गंभीर रूप से झुलस गया। इस पर खेतों में काम कर रहे दूसरे लोग दौडकर आए। घायल प्रकाशचंद्र को बिछीवाडा अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस पर उसे डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने जांच के बाद प्रकाशचंद्र को मृत घोषित कर दिया।

कार्यालय भू-सम्पति अधिकारी

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

क्रमांक- भू.स.अ./मप्रकृप्रौविवि/निविदा/2023/3130-39 दिनांक: 17.3.2023

ई-निविदा सूचना- 15 (2022-23)

माननीय कुलपति महोदय, म.प्र.कृ.प्रौ.वि.वि. उदयपुर की ओर से भू-सम्पति कार्यालय द्वारा निम्न कार्य लागत रू. 8.00 लाख (01 कार्य) हेतु मुहरबन्द निविदाएं आंमत्रित की जाती है। समस्त शर्तें एवं विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.mpuat.ac.in पर देखा जा सकता है।

UBN:ATU2223WSOB00390 (अनिल खींची) भू-सम्पति अधिकारी

कार्यालय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. रेलमगरा एवं नाथद्वारा

क्रमांक- SPL-01 दिनांक: 18.03.2023

संशोधित निविदा-सूचना

दिनांक 09.03.2023 के अंक में प्रकाशित क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. रेलमगरा एवं नाथद्वारा जिला-राजसमंद के लिए पोषाहार परिवहन व वितरण करने हेतु जारी निविदा में निविदा वर्ष 2022-23 के स्थान पर 2023-24 पढ़ा जावे।

कुलदीप सिंह- मैनेजर
क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.
रेलमगरा एवं नाथद्वारा

विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

बांसवाड़ा, (निसं)। ब्राइट फ्यूचर सैकेंडरी स्कूल आनंदपुरी के विद्यार्थियों ने पुलिस थाना व अस्पताल में शैक्षिक भ्रमण किया।

थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने कानून व यातायात नियमों की जानकारी दी। बीसीएमओ डॉ. देवेन्द्र डामोर ने बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी।

नवक्रमोन्नत विद्यालय का लोकार्पण

भीम, (निसं)। कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने नव क्रमोन्नत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़ी मंगरी का लोकार्पण किया।

विधायक रावत ने कहा कि लम्बे समय से अन्तराल के बाद गत 4 वर्षो में भीम देवगढ़ के प्रत्येक गाँव ढाणी में करोडो के विकास कार्य हुए। भाजपा कांठोस और राजनीतिक दलों की मानसिकता मै नहीं रखता। वह केवल चुनाव तक सीमित होनी चाहिए। आज करोडो के विकास कार्यो की लम्बी सूची के बाद भी आपकी मांगो की लम्बी सूची बताती है कि गत 15 वर्ष में आपके साथ धोखा हुआ। आप बताओ आखिर मेरे से पूर्व के विधायक ने 15 वर्षो में आपके लिए क्या किया। इस दौरान विधायक सुदर्शनसिंह रावत ने बार बार विपक्ष के स्थानीय जन प्रतिनिधियों का हवाला देते हुए सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की उपलब्धिया बताई। रावत ने जीरो बिजली बिल 1 हजार न्यूनतम पेंशन पालनहार में वृद्धि चिरंजिवी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा 500 में घरेलु गैस सिलेण्डर गरीब परिवारों को राशन किट सहित आमजन एवं समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को दिए राहत पैकेज आदि के बारे में बताया।

कार्यालय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. कांकरोली, आमेट

क्रमांक- SPL-1 दिनांक: 18.03.2023

संशोधित निविदा-सूचना

दिनांक 09.03.2023 के अंक में प्रकाशित क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. कांकरोली, एवं आमेट जिला राजसमंद के लिए पोषाहार परिवहन व वितरण करने हेतु जारी निविदा में निविदा वर्ष 2022-23 के स्थान पर 2023-24 पढ़ा जावे।

मैनेजर
क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.
कांकरोली, आमेट

कार्यालय नगर परिषद प्रतापगढ़, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:/नपप्र/भूमि/2023/2269-70 दिनांक: 17.03.23

लोक-सूचना

अधोहस्ताक्षर की जानकारी में यह लाया गया है कि 17 जून, 1999 से पूर्व/पश्चात की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के उपयोग किया जा रहा है/किया जाना है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैं।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके। आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रसं	प्रार्थी/प्रार्थीयो का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी नं.	भूखण्ड/रकबा	साईज	स्थान	पत्रावली संख्या
1	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	बी-01	800 वफी	परि विहार	547/21-22
2	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	बी-04	1000 वफी	परि विहार	544/21-22
3	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	बी-03	1000 वफी	परि विहार	548/21-22
4	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	ए-27	1350 वफी	परि विहार	545/21-22
5	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	ए-08	1000 वफी	परि विहार	543/21-22
6	श्री जयकुमार/जम्बुकुमार जैन	प्रतापगढ	298 मीन	बी-02	800 वफी	परि विहार	546/21-22
7	श्रीमती चन्द्रकान्ता/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-06	1000 वफी	परि विहार	535/21-22
8	श्रीमती चन्द्रकान्ता/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	298 मेंसे	एच-01	1000 वफी	परि विहार	537/21-22
9	श्रीमती चन्द्रकान्ता/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	298 मेंसे	एच-02	1000 वफी	परि विहार	534/21-22
10	श्रीमती चन्द्रकान्ता/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-05	1000 वफी	परि विहार	536/21-22
11	श्रीमती चन्द्रकान्ता/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	298/2607	सी-17,19,20	3000 वफी	परि विहार	929/21-22
12	श्री सेवन्तिलाल/मांगीलाल जैन	प्रतापगढ	298 मेंसे	एच-03	1000 वफी	परि विहार	538/21-22
13	श्री सेवन्तिलाल/मांगीलाल जैन	प्रतापगढ	298 मेंसे	एच-04	1000 वफी	परि विहार	532/21-22
14	श्री सेवन्तिलाल/मांगीलाल जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-11	1040 वफी	परि विहार	533/21-22
15	श्री सेवन्तिलाल/मांगीलाल जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-12	1360 वफी	परि विहार	531/21-22
16	श्रीमती सुमन/महावीरकुमार जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-08	1000 वफी	परि विहार	540/21-22
17	श्रीमती सुमन/महावीरकुमार जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-09	1000 वफी	परि विहार	539/21-22
18	श्रीमती सुमन/महावीरकुमार जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-10	1000 वफी	परि विहार	542/21-22
19	श्रीमती सुमन/महावीरकुमार जैन	प्रतापगढ	297 मेंसे	एच-07	1000 वफी	परि विहार	541/21-22
20	श्री आशीष/श्रीपाल चौरडिया	प्रतापगढ	298 मेंसे	बी-08	1000 वफी	परि विहार	549/21-22
21	श्री आशीष/श्रीपाल चौरडिया	प्रतापगढ	298 मेंसे	बी-06	1000 वफी	परि विहार	552/21-22
22	श्री आशीष/श्रीपाल चौरडिया	प्रतापगढ	298 मेंसे	बी-05	1000 वफी	परि विहार	550/21-22
23	श्री आशीष/श्रीपाल चौरडिया	प्रतापगढ	298 मेंसे	बी-07	1000 वफी	परि विहार	551/21-22
24	श्री महावीरकुमार/सेवन्तिलाल जैन	प्रतापगढ	298 मेंसे	जी-04	1000 वफी	परि विहार	553/21-22
25	श्री सुरेन्द्रकुमार/सेवन्तिलाल जैन	रुघनाथपुरा	616/183 मेंसे	-	4868.75 वफी.	पूजा विहार के पास	930/22-23
26	श्री रामनारायण/देवीलाल कुमावत	प्रतापगढ	306 मेंसे	डी-22	1000 वफी.	परि विहार	692/22-23
27	श्री भंवरसिंह/भवानीसिंह राजपुत	प्रतापगढ	1617/1900/1	-	2400 वफी.	मन्दसौर रोड़	515/22-23
28	श्री पप्पुराम/चौखचन्द मीणा	बगवास	1426/160	-	15051.5 वफी.	बगवास	534/22-23
29	श्रीमती मन्जु/अशोक मीणा	हाट सालमगढ़	182/314	-	11299.5 वफी.	हाट सालमगढ	533/22-23
30	श्री संयम/निलेश जैन	प्रतापगढ	839	94	1000 वफी	प्रगति नगर	916/22-23
31	श्री मुंताजअहमद/बाबु खान	प्रतापगढ	332	21	800 वफी	लक्ष्मी कांलोनी	928/22-23
32	श्रीमती सिताराबानो/अब्दुल हनीफ व श्रीमती मेहरुनिशा/एजाज हुसैन	मकनपुरा	88/107	5 व 27	1600 वफी	पारस कांलोनी	931/22-23
33	श्रीमती क्रितीकुंवर/शिवराजसिंह	रुघनाथपुरा	617/614	बी-08	1200 वफी	खुशी विहार II	915/22-23
34	श्री गोपाललाल/माधवलाल पालीवाल	मकनपुरा	88/107	02	800 वफी	पारस कांलोनी	934/22-23
35	श्री गोपाललाल/माधवलाल पालीवाल	मकनपुरा	88/107	30	800 वफी	पारस कांलोनी	933/22-23
36	श्रीमती अनिता/गोपाललाल पालीवाल	प्रतापतढ	12 मीन	सी-17, 18	2152.78 वफी	मंगलम विहार	932/22-23
37	श्रीमती अनिता/मनोहरलाल जैन	प्रतापगढ	298	ए-16	1000 वफी	परि विहार	936/22-23
38	श्रीमती सोहनबाई/माणकलाल जैन	प्रतापगढ	298	ए-22	1000 वफी	परि विहार	935/22-23
40	श्री होजेफा/फजल अब्बास	प्रतापगढ	368, 368/2407	09 व 09 के पिछे	900 वफी	राजेन्द्र नगर	937/22-23
41	श्री हेदरअली/फजल अब्बास	प्रतापगढ	368, 368/2407	09 मेंसे 09 का पिछे वाला भाग	900 वफी	राजेन्द्र नगर	938/22-23
42	श्रीमती ललीताकुंवर/डुंगरसिंह	रुघनाथपुरा	16/485	04	1000 वफी	न्यु चारभुजा कांलोनी	939/22-23
43	श्री कैलाशचन्द्र/दयाराम शर्मा	रुघनाथपुरा	32/377	एफ-04	2500 वफी	आशापुरी कांलोनी	940/22-23
44	श्री सुरेन्द्रसिंह,रणजीतसिंह/विक्रमसिंह	रुघनाथपुरा	32/377	बी-01, 02	2045 वफी	आशापुरी कांलोनी	941/22-23
45	श्री पप्पुराम/चौखचन्द मीणा	बगवास	1436/195	0.12 हे.	12900 वफी.	बगवास	962/22-23
46	श्री संतोषकुमार/लीलाशंकर पुरोहित	मकनपुरा	298/1	सी-31	1000 वफी	परि विहार	968/22-23
47	श्री विक्रमसिह/रामलाल आंजना एवं तेजकुंवर/विक्रमसिंह आंजना	प्रतापगढ	356/2665, 356/2685	ब्लाक-ए 01 से 24	17350 वफी	न्यु तिरुपति नगर	967/22-23
48	श्री विक्रमसिह/रामलाल आंजना एवं तेजकुंवर/विक्रमसिंह आंजना	प्रतापगढ	356/2665, 356/2685	ब्लाक-बी	14180 वफी	न्यु तिरुपति नगर	966/22-23
49	श्री विक्रमसिह/रामलाल आंजना एवं तेजकुंवर/विक्रमसिंह आंजना	प्रतापगढ	356/2665, 356/2685	ब्लाक-डी	10800 वफी	न्यु तिरुपति नगर	964/22-23
50	श्री विक्रमसिह/रामलाल आंजना एवं तेजकुंवर/विक्रमसिंह आंजना	प्रतापगढ	356/2665, 356/2685	ब्लाक-सी	10540 वफी	न्यु तिरुपति नगर	965/22-23
51	श्री विक्रमसिह/रामलाल आंजना एवं तेजकुंवर/विक्रमसिंह आंजना	प्रतापगढ	356/2665, 356/2685	ब्लाक-ई व एफ	15800 वफी	न्यु तिरुपति नगर	963/22-23

इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी।

आयुक्त
नगर परिषद प्रतापगढ़